कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री बाल कृष्ण खन्ना,2ए/206 आजादनगर ,कानपुर ।**

प्रा0प0सं0- 294/**2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री बाल कृष्ण खन्ना,प्रार्थी ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

।- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 19-5-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें Fishnet cloth पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री बाल कृष्ण खन्ना,प्रार्थी उपस्थित हुयें व उक्त जानकारी देने का अनुरोध किया

3- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों का अवलोकन किया। वैट अधिनियम की अनुसुची-। के कमांक-18 पर निम्न प्रविष्टि अंकित हैः-

18.	Fishnet, fishnet fabrics, fish seeds, prawn / shrimp seeds.

अतः Fishnet cloth उक्त प्रविष्टि के आधीन करमुक्त है।

4- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक ::25-9-2008

ह0/25-9-2008

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।